फोन/Phone: 91-22-6656 4266

इं व्यक्तिnail: manager.hr@mumbaiport.gov.in वेजमाईट/Website: www.mumbaiport.gov.in











सामान्य प्रशासन विभाग पोर्ट भवन, दूसरा माला शरजी वल्लभटास मार्ग बेलाई दस्टेट

शूरजी बल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई - 400 001.

General Administration Department, Port House, 2nd floor, S.V. Marg, Ballard Estate, MUMBAI - 400 001.

No. GAD/P/RECT-Dy.CE/3854

out November, 2025.

RECRUITMENT NOTICE

THE CHAIRPERSONS ALL MAJOR PORT AUTHORITIES

Madam/Sir,

Sub: Filling up 01 (One) post of Deputy Chief Engineer (Civil) in the pay scale of Rs.80000-220000 by absorption through composite Method in Mumbai Port Authority – Reg.

- 1. One post of Deputy Chief Engineer (Civil) in Mumbai Port Authority will fall vacant w.e.f. 01.02.2026. The post is to be filled by **absorption through composite method** from officers of Major Ports, fulfilling the eligibility criteria as mentioned at **Annexure I**.
- 2. The selection is by merit for which overall grading in the APARs should not be below "Very Good".
- 3. Applications are invited from eligible and willing officers of all the Major Port Authorities possessing the prescribed qualifications and experience as mentioned at Annexure I. The application shall be submitted through 'Online Application Portal (OAP)' of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways' (website http://onlinevacancy.shipmin.nic.in) from 06.11.2025 to 05.12.2025. No application submitted other than OAP will be accepted.
- 4. The candidate has to submit the hard-copy of the application form uploaded in OAP to his administrative Port for onward forwarding to MbPA.
- 5. The Administrative Ports are required to forward the applications of the candidates along with the **following documents** super scribing "Application for the post of Deputy Chief Engineer (Civil) in Mumbai Port Authority" on or before 22.12.2025.

- (i) certified copies of APARs for the last 5 years (2019-20 to 2023-24), duly attested by an officer not below the rank of Dy. HOD on each of the pages;
- (ii) a statement showing year-wise availability of APARs and grading duly signed by the Head of Department/Secretary. If APAR for a particular year during the last 5 years is not available, "No Report Certificate" may be furnished along with APARs of the preceding years;
- (iii) Attested photocopies of all certificates and proof of educational qualification, present and past work experience in the respective post and pay scale.
- (iv) No objection certificate from the respective Port.
- (v) Undertaking of the applicant that he will not withdraw his candidature, if selected by Services Selection Committee;
- (vi) Administrative clearance of the concerned port (Annexure II)
- (vii) Vigilance report is to be furnished in the prescribed format (Annexure III).
- (viii) Two passport size photographs.
- (ix) If any major or minor penalty has been imposed on the applicant during the last 10 years, the disciplinary case leading to such penalty along with necessary documents may be sent by the forwarding authority along with the application.
- 6. As per the Ministry's circular No. 29018/4/2081/PE-I dated 11.8.2021, in case of receipt of advance copy of application from any candidate, his candidature will not be considered if his application is not received through proper channel from the Port within 15 days of the last date of receipt of applications. Therefore, Major Ports are requested to forward the applications with complete set of enclosures on or before 22.12.2025. Applications received after 22.12.2025 will not be considered.
- 7. While forwarding the application, the Major Ports are to enclose all relevant documents at a time. No piecemeal / part forwarding will be considered.
- 8. The crucial date for eligibility criteria will be 01.02.2026 in terms of Ministry of Ports, Shipping and Waterways' circular No.A-29018/4/2081/PE-I dated 11.8.2021.
- 9. As per the Ministry's guidelines dated 11.8.2021 regarding filling up the Dy. HoD level posts in Major Port Authorities, Port official who withdraws his

candidature for the post after his selection by the Services Selection Committee, will be liable for debarment from future selection to Dy. HOD level posts in all Major Port Authorities for a period of two years.

10. Incomplete applications or applications received after due date will not be considered.

Yours faithfully,

Encl.: As above.

). PREMAKUMAR (MANAGER (HR)

Civil Engineering Department

	of the Post	of Post	Classifi cation	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non- Selection Post	Upper Age limit for direct recruit- ment on years)	Educational and other qualifications prescribe for direct recruitment	to educational qualifications (c) experience for direct recruits will	Period of Proba- tion (in vears)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by premotion, absorption	In case of promotion absorption deputation grades from which it should be made	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	apply in the case of promotion absorption deputation)		deputation)		
E	Dy. Chief Engineer Civil)	7	Class-I		Selection	42	Essential:- (i) Degree or equivalent in Civil Engg from	a) No b) Yes c) No		through composite method failing which By deputation from other Government Organisations and failing both By direct recruitment for the failing both for the failing both from the failing both from the failing both from the failing	For absorption through composite method Officers holding analogous posts or post of Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of Civil Engg. Deptt in the scale of pay of Rs. 13000-18250 with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust or Superintending Engg and equivalent posts in the respective discipline of Civil Engg. Deptt with 2 years regular service in the grade and a combined regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs. 10750-16750 and Rs. 13000-18250 in the espective discipline of Civil Engg. Deptt in a flajor Port Trust will election by ment of service of pay of S. 13000-18250 with 3 ars regular service in the grade and give and posts in the spective discipline of six 13000-18250 with 3 ars regular service in elegate in Govt /PSUs attonomous Bodies libe eligible. The election by ment for batch the bench mark overall grading in	13

Certificate to be given b	y Head of Department of
Shri/Smt.	
Designation	

- 1. It is certified that the particulars furnished by the officer are correct.
- 2. It is certified that no disciplinary/vigilance case is pending or contemplated against the applicant and he/she is clear from Vigilance and Administrative angle.
- 3. His/Her integrity is certified.
- 4. It is certified that no major/minor penalties have been imposed on the applicant during the last 10 years. If any, kindly indicate details thereof.
- 5. Attested copies of ACRs for the last five years (1.4.2019 to 31.3.2024) are enclosed.
- 6. It is certified that the incumbent meets the requisite eligibility criteria w.r.t. educational qualification and experience as specified in the Annexure I of the circular for absorption through composite method.

SIGNATURE OF THE HEAD OF DEPARTMENT WITH SEAL

MUMBAI PORT AUTHORITY

Particulars of the officer for whom Vigilance Comments/Status has been sought

Name of Officer (in full)	Tan T	
Father's name	+:-	
Date of Birth		
	+	
Service to which the officer belongs		
wherever applicable	1	
Revised Payscale		
Whether Annual Property Return (APP) have	-	•
been submitted in time		Yes / No
Date of submission of APR		
IIIII	Date of Retirement Date of entry into service Service to which the officer belongs wherever applicable Revised Payscale Whether Annual Property Return (APR) has seen submitted in time	Father's name Date of Birth Date of Retirement Date of entry into service Service to which the officer belongs wherever applicable Revised Payscale Whether Annual Property Return (APR) has een submitted in time

Positions held including whether the officer has functioned as a CVO in part time or additional charge capacity (During the ten preceding years)

SI. No.	Organization (Name in full)	Designation and Place of posting	Administrative/ Nodal Ministry/ Deptt.	From	То

11	Whether any punishment was awarded to the officer during the last 10 years and if so, the date of imposition and details of the penalty.(*)	
12	Is any disciplinary / criminal proceedings or Chargesheet pending against the officer as on date (If so, details to be furnished – including reference number if any of the commission)	:
13	Is any action contemplated against the officer as on date (If so details to be furnished) (*)	:
14	Whether any complaint with vigilance angle pending against the officer as on date (If yes, details to be furnished)	:

Date:	(Signature of Head of Department)

15	Whether the officer has been placed on the "Agreed List" or "List of Officers of Doubtful Integrity" (If yes details to be given)	:	
10	Whether any allegation of misconduct involving vigilance angle was examined against the officer during the last 10 years and if so, with what result (*)		

The applied post being Selection post at the level of Head of Department, the officer is Clear/not clear from vigilance angle as per the guidelines of DoPT/CVC issued from time to time.

Date:

CHIEF VIGILANCE OFFICER

(*) If vigilance clearance had been obtained from the Ministry/CVC in the past, the information may be provided for the period thereafter.

फोन/Phone: 91-22-6656 4266 इ.मल/Email: manager.hr@mumbaiport.gov.in वेबसाईट/Website: www.mumbaiport.gov.in











सामान्य प्रशासन विभाग पोर्ट भवन, दूसरा माला शूरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई - 400 001.

General Administration Department, Port House, 2nd floor, S.V. Marg, Ballard Estate, MUMBAI - 400 001.

सं.सा.प्र.वि/पी/भर्ती-उमुअ/ 3854

भर्ती सूचना

04 नवंबर 2025.

अध्यक्ष सभी महापत्तन प्राधिकरण

महोदय/ महोदया,

विषय : मुंबई पत्तन प्राधिकरण में उप मुख्य अभियंता (सिविल) के 01 पद रु. 80000-220000 के वेतनमान में संयुक्त पद्धति से विलयन द्वारा भरना -संबंधी.

- 1. मुंबई पत्तन प्राधिकरण में उप. मुख्य अभियंता के 01 (एक) पद दिनांक 01.02.2026 से रिक्त होने वाला है. ये पद **अनुलग्नक I** में यथा उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करनेवाले, महापत्तनों के अधिकारियों से **संयुक्त पद्धित से विलयन द्वारा** भरे जाने है.
- 2. चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में समग्र ग्रेडिंग(श्रेणीकरण) "बहुत अच्छा (Very Good)" से कम नहीं होनी चाहिए.
- 3. **अनुलग्नक- I** में यथा उल्लिखित निर्धारित अर्हतायें तथा अनुभव धारण करने वाले सभी महापत्तन प्राधिकरणों के **पात्र तथा इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं**. आवेदन 06.11.2025 से 05.12.2025 तक पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की वेबसाईट (http://onlinevacancy.shipmin.nic.in) के "**ऑनलाईन आवेदन पोर्टल (ओएपी)**" के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है. ओएपी के अलावा प्रस्तुत कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
- 4. उम्मीदवार को ओएपी में अपलोड किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी अपने प्रशासनिक पत्तन को प्रस्तुत करनी होगी ताकि वे उसे मुंबई पत्तन प्राधिकरण को आगे अग्रेषित कर सकें.
- 5. प्रशासनिक पत्तनों को उम्मीदवारों के आवेदन निम्नलिखित कागजातों सहित उनके उपर **''मुंबई पत्तन** प्राधिकरण में उप मुख्य अभियंता (सिविल) पद के लिए आवेदन'' लिखने के बाद 22.12.2025 को अथवा उसके पूर्व अग्रेषित करने होंगे.

- (i) पिछले 5 वर्षों की (2019-20 से 2023-24 तक) वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियाँ. उप विभागप्रमुख स्तर के नीचे न हो ऐसे अधिकारी द्वारा हर एक पन्ने पर विधिवत प्रमाणित करके:
- (ii) वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की वर्षवार उपलब्धता तथा श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) दर्शानेवाला विवरण विभाग प्रमुख/सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो. पिछले पाँच वर्षों में से यदि किसी विशिष्ट वर्ष का वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध न हो. तो उसके बारे में "रिपोर्ट नहीं है प्रमाणपत्र" पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्टों के साथ प्रस्तुत करे;
- (iii) शैक्षिक अर्हता के सभी प्रमाणपत्रों तथा प्रमाणों तथा संबंधित पद तथा वेतनमान में वर्तमान तथा पिछले कार्य अनुभव की सत्यापित फोटो प्रतियाँ.
- (iv) संबंधित पत्तन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र.
- (v) आवेदक से लिया गया वचननामा कि यदि सेवा चयन समिति द्वारा उसका चयन किया गया तो वह उसकी उम्मीदवारी वापस नहीं लेगा:
- (vi) संबंधित पत्तन से प्रशासनिक अनापत्ती प्रमाणपत्र (**अनुलग्नक II).**
- (vii) निर्धारित फॉर्मेट (**अनुलग्नक III**) में सतर्कता रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरुरी है.
- (viii) दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राएस
- (ix) पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर यदि कोई छोटा या बडा दण्ड लगाया गया हो तो ऐसे दण्ड की ओर ले जाने वाले अनुशासनिक मामले के साथ आवश्यक कागजातो को आवेदन सहित अग्रेषण प्राधिकरण द्वारा भेजा जाए.
- 6. मंत्रालय के दिनांक 11.8.2021 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी उम्मीदवार से आवेदन की अग्रिम प्रित की प्राप्ति के मामले में, **यदि उसका आवेदन आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर उचित माध्यम के जिरए पत्तन से प्राप्त नहीं हुआ तो उसकी उम्मीदवारी का विचार नहीं किया जाएगा. अत: महापत्तनों से अनुरोध है कि वे आवेदनों को संलग्नकों के संपूर्ण सेटसहित 22.12.2025 को या उसके पहले अग्रेषित करे. उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.**
- 7. आवेदन को अग्रेषित करते समय, महापत्तनों को एक ही समय पर सभी संगत दस्तावेजों को संलग्न करना जरुरी है. आंशिक/ टुकडों में भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.
- 8. पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के दि.11.8.2021 के परिपत्र सं.ए-29018/4/2081/पीअ-1 के अनुसार पात्रता मानदण्डों की निर्णायक तिथि **01.02.2026** होगी.

9. महापत्तन प्राधिकरणों में उप विभाग प्रमुख स्तर के पदों को भरने के संबंध में मंत्रालय के दिनांक 11.8.2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार जो पत्तन पदधारी, सेवा चयन सिमित द्वारा उनका चयन होने के बाद अपनी उम्मीदवारी को वापस लेंगे, वे दो वर्षों की अविध के लिए सभी महापत्तन प्राधिकरणों के उप विभाग प्रमुख के स्तर के पदों पर भविष्य में चयन पर रोक के लिए उत्तरदायी होंगे.

10. अपूर्ण आवेदनों तथा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा.

(सी. प्रेमाकुमारी)

प्रबंधक (मा. सं.)

स्थापत्य अभियांत्रिको विभाग

इ.मू.	13	
पदोन्नति/दिलयन/ प्रतिनियुक्ति के नामले में भती किस श्रेणी से की ानी ह	12	महापत्तन न्यास में तत्समान पद पर कार्य कर रहे अधिकारी अधात नागरी अमियात्रिकी विभाग के संबद्ध क्षेत्र में 13000-18250 अये देतनमान में 3 दर्ध से कार्यकर रह अधोक्षण अमियता और समकक्ष पद के अधिकारी अथवा महापत्तन न्यास में सिविल अनियात्रिकी विभाग में दो वर्ष से नियमित कार्य कर रह अशिकारी मंद्रावत से से नियमित कार्य कर रह अशिकार अभियता और समकक्ष पद के अधिकारी संयुक्त स से 7 वर्षों से नियमित कार्य कर रह अशिकार अभियता और समकक्ष पद के अधिकारी संयुक्त पृद्धित द्वारा वित्यन के याय है. अधिकारी और सिविल अभियता विभाग के संबद्ध क्षेत्र में 13000-18250 है देतनमान में 3 वर्षों से कार्य कर रहे अधिकार अभियता विभाग के संबद्ध क्षेत्र में 13000-18250 है देतनमान में 3 वर्षों से कार्य कर रहे अधिकार पर होगा इसके लिए वार्षिक गणिता में तत्स्रमा पर धार होगा इसके लिए वार्षिक गणितीय रिपोर्ट में वे मार्क की सम्पूर्ण ग्रेडिंग "बहुत अ छा" होन आवश्यक है.
भत्ते की फदाते सीक्षी भत्ते या पदोन्ततिः द्वारा	,	सयुक्त फद्रति द्वारा डिलय्टन अथवा अन्य सम्वारी सम्उनो स प्रोतीन्युक्ति द्वारा या दोनो न्हीं होने पर सोधी भती द्वारा.
परिटीक्षा की अवधि वषों में)	10	अंग <u>ग</u> ही व
क्य कोशी मती के त्यांसित क अयु ख मोडिक योग्यतार् ग अनुभव पदोन्नति। विलयन। प्रतिन्युक्ति के मामले	6	্ন বি এ অ
तीयी मती के लिए निशापित शक्तिक एव अन्य यान्यताएँ	00	अनिवादं : । मान्यता प्राप्त विश्वविद्धालयः संस्था से नागरी अभियात्रिकी मे पदवी या समकक्ष वाणि यकः सपकारी उपक्रम मे यो ाना। निर्माणः। अनुरक्षण विशेषकर पोर्ट एवं समुद्री सर ाना में कार्यकारी सवर्ग सर ाना में कार्यकारी सवर्ग
सीधा मरी के लिए अधिकतम आडु सीमा वर्षे मे	7	942 qq
पद या न है या भैर विजन	9	- ਸ ਯ
द्धार	2	16000- 20800
व व	4	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
सब्या	m	
- H - H - H - H - H - H - H - H - H - H	2	अन्यस्य स्व
म स	- 6	2

विभाग प्रमुख द्वारा दिया जानेवाला प्रमाणपत्र
श्री/श्रीमती
पद

- 1. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है.
- 2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता का मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है और वे/वह सतर्कता और प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्दोष है.
- 3. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है.
- 4. यह प्रमाणित है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई बड़ा/मामूली दण्ड नहीं लगाया गया है. यदि कोई हो तो कृपया उसका विवरण दें.
- 5. पिछले पांच वर्षों (1.4.2019 to 31.3.2024) के लिए एसीआर की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न हैं.
- 6. यह प्रमाणित है कि पदग्राही समग्र योग्यता के माध्यम से मिश्रित पध्दित से भर्ती के परिपत्रक के अनुलग्नक -I में निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि अपेक्षित पात्रता मानदण्डो को पूरा करता है.

विभाग प्रमुख का हस्ताक्षर मोहर (सील) के साथ

मुंबई पत्तन प्राधिकरण MUMBAI PORT AUTHORITY

अधिकारी का विवरण, जिनके सतर्कता टिप्पणियाँ/स्थिति मांगी गई है.

1.	अधिकारी का नाम (संपूर्ण)	,,					-
2.	पिता का नाम						
3.	जन्म तिथि			 			
1.	सेवा निवृत्ति की तिथि						
5.	सेवा प्रवेश की तिथि	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		:			
6.		न वर्ग/वर्ष, संवर्ग आदि जो १	भी लाग है	:		-	
7.	संशोधित वेतनमान	2 2 3 2 3 2 3 6 4 5 5 6	0 711 6	:			
8.	क्या वार्षिक संपत्ति विवरण	⋒ (Annual Property	Returns	:		/नहीं	
	(APR) वक्त पर प्रस्तुत व	ភា	recting	•	ÇI.	প্র	
9.	वार्षिक संपत्ति विवरणी प्रस्तु	त करने की तिथि					
10.	धारण किए गए पद में अधिव		क्त प्रभार में	:			
	मुख्य सतर्कता अधिकारी के रू	प में कार्य किया है यह शामिल	है (पिछले	•			
	दस वर्षों के दौरान)						
0.F ===							
अ.क्र	. संगठन (संपूर्ण नाम)	पदनाम एवं नियुक्ति	संबंधित		द्वारा		तक
		का स्थान	प्रशासनिव				
-			मंत्रालय/र्वि	वभाग			
					20.00		
11.	क्या पिछले 10 वर्षों के दौरा	न अधिकारी को कोई मजा टी	गर्ह भी अौ	उग्रटि हाँ =	मे आयोग नामने नी		
	तिथि और दण्ड का विवरण(*)	ારબા, ઝા	र पाप हा, त	ग आराप लगान का	:	
12.	क्या आज की तिथि को अधिव			मामाधिक का	ਸੰਗੜੀ ਜਾ ਜਾ ਨਿਹੜ		
	लंबित है (यदि हाँ, तो आयोग	गरा या खरा। या यार अनुसार 11 द्वारा रादि कोई संदर्भ संस्ला	1910 मध्य अ 1 हो हिथा है	। परा। वक का इ. असराहर ही	यवाहा या चाजशाट	:	
	विस्तृत विवण प्रस्तृत किया	नाय भार भार सार स्वयं सञ्ज्ञ जाए)	i tii itiiq c	० अनुसार ५	। गर्रु । उसक साथ		
13.	क्या अधिकारी के खिलाफ अ		ाई है (गृटि	द्रा तो तिस्	रत विवास साम्ब		
	किया जाए.)	and state and state and state	14 0 (414	ei, tii 19th	ृता विवरण प्रस्तुत	•	
14.	क्या सतर्कता की दृष्टि से अ	धिकारी के खिलाफ आज त	क कोई शिव	धारयत लंहि	वत है (सिट हाँ तो		
	विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया	जाए.	1/1/1/1/1/1/	147411 (110	वत ह (बाद हा, ता		
ाधि :					(विभाग प्रमुख	व के ह	इस्ताक्षर)
15.	यदि अधिकारी को "सहमत सू	ची" अथवा "संदिग्ध इमानद	ारी के अधिव	प्तरियों की स्	नूची" पर रखा गया		
	(यदि हां, तो विस्तृत विवरण	प्रस्तृत किया जाए)					
10	यदि सतर्कता की दृष्टि से पिर	छते 10 वर्षों में अधिकारी के	ह खिलाफ द	राचार का उ	आरोप की जाँच की		
16.		COLUMN TOWN			A VI WILL AND IN		
16.	गयी थी. यदि हां तो उसका पी पद विभाग प्रमुख के स्तर का						

तिथि :

(मुख्य सतर्कता अधिकारी)

(*) यदि अतीत में मंत्रालय/सीवीसी से सतर्कता मंजूरी प्राप्त की गई थी तो उसके बाद की अवधिके लिए जानकारी प्रदान की जा सकती है.